


416



न्यायालय श्री मानू राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर म. प्र. ।

प्र. क्र. / /निग. /2014-15, आ. दि. / 3711 - II - 15

1. दशरथ तनय बहोरा लोधी, तनय स्व. दरयाव लोधी
2. सुरे तनय स्व. श्री पलुआ लोधी

निवासी ग्राम बसारी सफिल बसारी पूर्व तह. उत्तरपुर

श्री. श्री. राजीव तहसील राजनगर जिला- उत्तरपुर म. प्र. । -----आवेदक

द्वारा आज दि. 10-11-15 को बनाम

प्रस्तुत

1. रामदास तनय स्व. मनुआ अहिरवार तनय स्व. कुन्नईयाँ
2. ~~तेइया तनय मनुआ अहिरवार, तनय स्व. कुन्नईयाँ~~
3. शिवनाथ शिपिस. स्व. मकुन्दा अहिरवार तनय
4. रामप्रसाद शि स्व. कुन्नईयाँ
5. रामप्यारी | पुत्री गण स्व. मकुन्दा अहिरवार तनय
6. रज्जनवाई, स्व. कुन्नईयाँ
7. प्रेमवाई,
8. मत्स्यी बेबा स्व. मकुन्दा अहिरवार
9. जगदीश तनय बृजलाल अहिरवार,
10. भगतजी तनय बृजलाल अहिरवार, समस्त निवासी ग्राम बसारी तह. राजनगर जिला- उत्तरपुर म. प्र. ।
11. मध्य प्रदेश शासन । -----अनावेदकगण

ORV
10-11-15

रजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

स्व. प्रेरणा निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. कू. रा. संहिता 1959 के तहत ।

निगरानी विरुद्ध निर्णय योग्य अधिसूचक, न्यायालय श्री मानू नाथ तहसीलदार, क्षेत्र बसारी तह. उत्तरपुर तह. राजनगर के रा. प्र. क्र. 6/अ-46/1977-78 में पारित आ. दि. 05-3-1979 से जारी होकर ।

3 महोदय,

आवेदक श्री मानू के समक्ष सादर निम्न लिखित तथ्यों एवं आधारों पर निम्न निगरानी प्रस्तुत करता है कि:-


- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-3711-दो/2015

जिला-छतरपुर

दशरथ व अन्य विरुद्ध रामदास आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार क्षेत्र बसारी, तहसील छतरपुर, हाल तहसील राजनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 06/अ-46/1977-78 में पारित आदेश दिनांक 05-03-1979 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	


(आर0के0 जैन)
सदस्य

3/19